कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय,मैनपुरी
नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं.4730/Admin(B-1)Sec. Dated: Allahabad, December, 22, 2021 में दिये गये निर्देशों एवं उक्त संदर्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 22.12..2021 के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जनपद न्यायालय, मैनपुरी की भूमि पर स्थित निम्नलिखित शेष दुकानों के ठेका हेतु निविदायें दिनांक 03.01.2022 को सायं 3.00 बजे तक सील बंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। समस्त निविदायें रजिस्टर्ड डाक द्वारा, केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय , मैनपुरी के पते पर प्राप्त की जायेगी।

1.	ठेका फल,जूस वेल, सिकंजी, फलों का जूस	01
2.	उबला भुना चना, मूँगफली, भुना आलू एवं भुट्टा	01
3.	ठेका फोटो स्टेट	01
4.	ठेका फोटोग्राफी	01
5.	ठेका मंजन, चूर्ण एवं तेल	02
6.	ठेका केन्टीन	01
7.	ठेका पान सुपारी	01

उपरोक्त ठेके हेतु शर्ते निम्नलिखित है :–

1. यह ठेका दिनांक 31.03.2022 तक के लिए वैध होगा।

2. प्राप्त निविदायें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति के समक्ष दिनांक 05.01.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे जनपद न्यायालय, मैनपुरी के मीटिंग कक्ष में खोली जायेगी।

3. अधिकतम् मूल्य की निविदा को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. जिस व्यक्ति के ठेके की निविदा अंतिम रूप से स्वीकृत की जायेगी, उसे स्वीकृत निविदा की सम्पूर्ण धनराशि दो कार्य दिवस के अन्दर केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

5. जिस ठेकेदार के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा।

7. जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं.31/एस दिनांकित 16.03.1988 मे दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को निविदा स्वीकार होने के पश्चात रू.100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8. ठेकेदार को अपने दुकान के आस पास सफाई स्वंय करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं.139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहॉ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9. माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वंय अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेगें।

10. जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी,उसी में दुकान करना होगा।

11. पान के ठेकदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नही बेचेगे,

इस सम्बन्ध में उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी।

12. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिकी करेगें, वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रत खाद्य सामग्री का विकय नही करेगा।

13. वर्तमान समय में चल रहे कोविड–19 के बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन ठेकेदारों द्वारा स्वंय के व्यय पर किया जायेगा।

14. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नही किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।

15. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें, और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें।

दिनांकः24.12.,2021

R. K. Sagar 24/12/21	[signature]	[signature] 24.12.2021
(रवि कुमार सागर)	**(नासिर अहमद)**	**(प्रदीप कुमार–V)**
सदस्य समिति /	सदस्य समिति /	अध्यक्ष,नीलामी समिति /
सिविल जज ,एफ.टी.सी.(प्रवर वर्ग)	विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षेत्र)	विशेष न्यायाधीश (एस.सी./
मैनपुरी	**मैनपुरी**	**एस.टी.एक्ट) मैनपुरी**